संख्या : 151/44-2/93-151/92

प्रेषक,

श्री सी० वी० पाली वाल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ।

सार्वजनिक उद्यम अनभाग–2 लखनऊ : दिनांक : 29 जनवरी, 1993

विषय:– सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों की निधियों को बैंकों तथा अन्य संस्थाओं में जमा किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में शासन के संज्ञान में यह बात आई है कि राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों द्वारा अधिशेष निधियों का बैंकों तथा अन्य संस्थाओं में निवेश किया जा रहा है। इस विषय पर शासन द्वारा विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उद्यमों/निगमों की निधियों को बैंकों तथा अन्य संस्थाओं में जमा करने हेतु निम्नांकित प्रक्रिया अपनाई जाय:–

1- सार्वजनिक उद्यम/निगम की निधियों का निगम के आर्टिकल आफ एसोसिएशन तथा मेमोरेण्डम के प्राविधानों के अनुसार ही निवेश किया जाय।

2- आर्टिकल्स आफ एसोसिएशन तथा मेमोरेण्डम में इस सम्बन्ध में कोई प्राविधान न होने पर निवेश उद्यम/निगम के निदेशक मण्डल के अनुमोदन से ही किया जाय।

3- निगम के निदेशक मण्डल द्वारा निदेशक मण्डल की बैठकों में निगम द्वारा किये गये निवेश की नियमित रूप से समीक्षा की जाय।

(4) अतः इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने अधीनस्थ कार्यरत सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों में उक्त प्रक्रिया का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
[सी०वी० पालीवाल]
विशेष सचिव।

संख्या–151(1)/44/95 तद्दिनांक

प्रतिलिपि सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों/उपक्रमों के समस्त प्रबन्ध निदेशक/मुख्य कार्यकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

आज्ञा से,
[सी०वी० पालीवाल]
विशेष सचिव।